



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2012—चैत्र 3, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. 700-म. प्र. विनिआ-2012:—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 606, दिनांक 28 फरवरी 2012 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार में दिनांक 9 मार्च, 2012 को पृष्ठ क्रमांक 173 पर किया गया है. मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता (अट्टारहवां संशोधन) में सरल क्रमांक त्रुटिवश प्रकाशित हो गये हैं.

अतएव, यह शुद्धि-पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है. उपरोक्त दर्शाये सरल क्रमांक हिन्दी संस्करण में "(i)" के स्थान पर "1" तथा शब्द "संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:" के पश्चात् "(i)" पढ़ा जावेगा. इसी प्रकार अंग्रेजी संस्करण में सरल क्रमांक "1" को विलोपित माना जायेगा तथा सरल क्रमांक "2", "1.1", "1.2", "1.3", "3", "4", को क्रमशः "1", "(i)", "(ii)", "(iii)", "2" एवं "3" पढ़ा जावेगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.